

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने तथा उपलब्ध
कराई गई भूमि की उपयुक्तता का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चकराता - लावामण्डल (गोराधाटी) मोटर मार्ग से रंगेऊ मोटर मार्ग निर्माण हेतु अर्जित आरक्षित वन भूमि एवं सिविल भूमि जिसका श्रेत्रफल 1.736 है, के हस्तांतरण हेतु दुगुने श्रेत्रफल 3.4720 है। अनवरत सिविल भूमि जिला देहराडून के परगना जौनसार बाबर, खत., तहसील - चकराता ग्राम - रंगेऊ, खाता संख्या 142, खसत नं० 1521 जिसका कुल श्रेत्रफल - 7.5 है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पाये गई है। तथा वृक्षारोपण हेतु दुगुनी अर्जित सिविल वनभूमि 3.472 है। भूमि को मोटर मार्ग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की सैदांतिक स्वीकृति मिलने पर वन विभाग को हस्तांतरण को कार्यावाही कर दी जायेगी।


चयालाल शर्मा
राजस्व उपनिरीक्षक/धानाधर
क्षेत्र. बरौंछा / बवाली
तहसील चकराता (देहराडून)